

2014/00043

FORM No. III

फर्द अहकाम

(नियम 26)

जज अदालत अपराध विभाग मुकाम क्यांग
सीपिई बनाम श्यामराज वगैरे
 किस्त मुकदमा नं. 178/14 सन 2014

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तामीज में जारी हुए
10/10/14	<p>इका इजिस्ट्रिड हो। प्रोवादी गण को जसिफ समन तलब कर पमावणी डिमांड 15/12/14 को पेश हो।</p>	<p>1943 15/12/14</p>
15/12/14	<p>पुत्रापत्र - पुनाग काप में लाए</p> <p>न्यायकी पूर्ववत: दि 26/12/14 को प्रस्तुत है</p> <p>रीडर न.स.डी.डी./एस.डी.एस. कलकत्ता</p> <p>सिमा कार्ड में लाए</p> <p>न्यायकी पूर्ववत: दि 22/1/15 को प्रस्तुत है</p>	
26/12/14	<p>रीडर न.स.डी.डी./एस.डी.एस. कलकत्ता</p> <p>सिमा कार्ड में लाए</p> <p>न्यायकी पूर्ववत: दि 25/6/15 को प्रस्तुत है</p>	<p>17/1/15</p>
25/6/15	<p>सिमा कार्ड में लाए</p> <p>न्यायकी पूर्ववत: दि 17/1/15 को प्रस्तुत है</p>	<p>2015</p>

तारीख
हुक्म

हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज

10/01/21 पीठासीन अधिकारी
पत्रावली पूर्वानुसार दिनांक 24/1/21 को पेश हो

रीडर

एस0डी0ओ0/एस0डी0एम0 बयाना

प्रशासन शाखा के अधीन अधिकारी

पीठासीन अधिकारी

पत्रावली पूर्वानुसार दिनांक 10/1/22 को पेश हो

24/11

रीडर

एस0डी0ओ0/एस0डी0एम0 बयाना

10/1/22

प्रमाण पत्र हुआ 1250 वादी क लक्ष्मी वादी.
को न्यायालय हुआ से कोर्ट 2 आवाज
लगावाई गई। कोर्ट में उपाय नहीं। अलग
वाड-वादी 1250 वादी क लक्ष्मी वादी की अलग
हाजरी कदम प्रती में लाइन दिया
जाता है। प्रमाण पत्र को कोर्ट में
से कदम को वाड नवमील दाखिल
नपुत्र है।

उपखंड अधिकारी
बयाना (भरतपुर)